



2026:AHC:43728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2503/2026

रोहित सक्सेना और अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कैलाश प्रकाश पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुद्धवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पाण्डेय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ताओं का स्थानांतरण कन्नौज से कानपुर देहात कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 25.11.2025 और 25.10.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया था और उन्होंने 03.12.2025 और 01.11.2025 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को इस बहाने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा है कि कन्नौज में उत्तरदाताओं द्वारा आवंटित आवासीय आवास को खाली नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 की बेटियाँ कन्नौज में कक्षा-VII और कक्षा-II में पढ़ रही हैं और याचिकाकर्ता संख्या 2 के बच्चे कक्षा-III में पढ़ रहे हैं। इस संबंध में 21.11.2016

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के परिपत्र के साथ-साथ रिट-ए संख्या 19199/2025 (विजय बहादुर और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में 18.12.2025 को दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया गया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि मामला जो भी हो, चूंकि वर्तमान में कोई स्पष्ट लिखित निर्णय नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज, जिला कन्नौज द्वारा इस पर एक सुविचारित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।